न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 72/2023 (2023/)

गोविन्द कुमार पुत्र गोपाल धोबी
प्रांजल पुत्री गोविन्द जाति धोबी संरक्षक पिता गोविन्दकुमार
समस्त जाति धोबी निवासीगण केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 29.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प मानखण्ड में पेश । प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि र्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित राजीयात वाके ग्राम रूपनिवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
35–79	2464 2465	2.23 0.30	बारानी 3 बारानी 3
	कुल किता 2	**कुल रकबा 2.53 हैक्टर**	

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड र्ज चली आ रही है तथा प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा आराजीयात के पडोसी आये दिन कब्जे काश्त में ई झगडा करते रहते है। पडोसियान अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जे करने की नियत रखते है तथा गण आराजीयात की सुरक्षार्थ चारो तरफ तारबन्दी करवाना चाहते है, जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना मी आया है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर चिन्ह व मुस्तकीम प्वाइंट को लेकर अप्रार्थी द्वारा असंतुष्ट नामचौप किया जिसके संन्दर्भ में प्रार्थीगण अप्रार्थी को आपत्ति भी प्रस्तुत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई। दिनांक 03.04.2023 को गण आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गये तो आराजीयात के पडोसियान ने सीमा चिन्ह नही होने मकी दी एवं हंकाई बुवाई नही करने दी। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढी ाना चाहते है ताकि आये दिन पडोसियान से विवाद नही करना पडे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र ार किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त आराजी की स्थाई पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता आराजीयात के सियान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया हे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने कैम्प उपस्थित। ीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाकर ारान को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार अनुसार ग्राम रूपनिवास की आराजी खसरा नम्बर 2464 रकबा 2.23 हैक्ट, खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.30 हैक्टर जमाबंदी खाता संख्या 35 में गोविन्द कुमार पुत्र गोपाल एवं प्रांजल पुत्री गोविन्द संरक्षक सरपरस्त पिता गोविन्द कौम धोबी के नाम खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में होने से माननीय न्यायालय द्वारा पत्थरगढी हेतु नुतोष प्राप्त कर सकते है तथा राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। ार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की ातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत त्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी के ग्राम रूपनिवास तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 35–79 में दर्ज खसरा ख्या 2464, 2465 किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी ल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत विर केम्प मानखण्ड में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)